रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 1985/श्रावण 29, 1907

No. 170] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 1985/SRAVANA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1985

संकल्प

एफ० सं० 11012/4/85-एस० आर०—भारत के प्रधानमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष के बीच 24 जुलाई, 1985 को हुए समझौते के विवरण का पैरा 7.2 इस प्रकार है :—

"7.2 श्रीमती इन्दिरा गांधी की सदा से ही यह धारणा थी कि जब कभी चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाता है तो पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दिए जायें। पंजाब में हिन्दी भाषी क्षेत्रों जो चण्डीगढ़ के बदले में हरियाणा को जाने चाहिए के निर्धारण के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। इस प्रकार के निर्धारण के लिए निकटता और भाषाई लगाव के सिद्धांत को मानकर गांव को एक इकाई माना जाएगा। आयोग 31 दिसम्बर, 1985 तक अपनी रिपोर्ट दे देगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगी। आयोग का कार्य इस पहलू तक सीमित रहेगा और सीमा संबंधी सामान्य दावों से अलग होगा जिन पर पैरा 7.4 में उल्लिखित एक अन्य आयोग विचार करेगा।"

उपर्युक्त के अनुसरण में, भारत सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री के० के० मैथ्यू के अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है।

2. आयोग इस प्रकार के निर्धारण के लिए निकटता और भाषाई लगाव के सिद्धांतों को मान कर गांव को एक इकाई मानेगा। आयोग ऐसी अन्य बातों पर भी विचार कर सकेगा जिन्हें वह संगत या उपयुक्त समझे।

3. आयोग अपने कार्य के लिये अपनी कार्यविधि स्वयं तैयार करने के लिये स्वतंत्र होगा। आयोग साधारणतया अपनी बैठक एकान्त में करेगा।

4. आयोग अपनी सिफारिशें भारत सरकार को 31 अक्तूबर, 1985 तक प्रस्तुत करेगा।

आर० डी० प्रधान, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th August, 1985

RESOLUTION

F. No. 11012/4/85-SR.—In the Memorandum of Settlement, dated the 24th July, 1985 between the Prime Minister of India and the President of Shiromani Akali Dal, paragraph 7.2 reads as follows :—

"7.2 It has always been maintained by Smt. Indira Gandhi that when Chandigarh is to go to Punjab some Hindi-speaking territories in Punjab will go to Haryana. A Commission will be constituted to determine the specific Hindi-speaking areas of Punjab which should go to Haryana, in lieu of Chandigarh.

The principle of contiguity and linguistic affinity with a village as a unit will be the basis of such determination. The Commission will be required to give its findings by 31st December, 1985 and these will be binding on both sides. The work of the Commission will be limited to this aspect and will be distinct from the general boundary claims which the other Commission referred to in para 7.4 will handle."

In pursuance of the above, the Government of India have decided to appoint a Commission consisting of Shri Justice K. K. Mathew, a retired Judge of the Supreme Court of India.

2. The Commission shall apply the principles of contiguity and linguistic affinity with village as a unit for such determination. The Commission may also take into consideration such other factors as it may deem relevant or appropriate.

3. The Commission will be at liberty to devise its own procedure for its work. The Commission will ordinarily hold its meeting in private.

4. The Commission will make its recommendations to the Government of India not later than the 31st October, 1985.

R. D. PRADHAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985